टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस

प्रिलिम्स के लिये:

टैक्स हेवन, दोहरा कराधान बचाव समझौता, साइप्रस के साथ भारत की कर संधि, **कर चोरी**

मेन्स के लिये:

साइप्रस को टैक्स हेवन के रूप में इस्तेमाल किये जाने को लेकर चिंताएँ और निहितार्थ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल की **साइप्रस गोपनीय जाँच** से साइप्रस में अपतटीय संस्थाओं और भारत में धनी व्यक्तियों से उनके संबंध से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों का एक जटिल वेब सामने आया है।

- **अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ (International Consortium of Investigative Journalists- ICIJ)** के सहयोग से की गई यह वैश्विक अपतटीय जाँच, विश्व भर के अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस के उपयोग को उजागर करती है।

नोट:

- टैक्स हेवन आमतौर पर एक **अपतटीय देश होता है** जहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर परिस्थिति में विदेशी व्यक्तियों तथा व्यवसायों को बहुत कम या कोई कर देय नहीं होता है।
- एक अपतटीय कंपनी अपने गृह देश के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में निगमित होती है।
  - एक अपतटीय कंपनी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य किसी बाहरी देश में **अनुकूल कर कानूनों या आर्थिक माहौल का लाभ उठाना है।**

टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस क्या कर लाभ प्रदान करता है?

- **कॉर्पोरेट कराधान:**
  - साइप्रस से प्रबंधित और नियंत्रित अपतटीय कंपनियों और अपतटीय **शाखाओं पर 4.25% कर लगता है।**
  - **विदेश से प्रबंधित अपतटीय शाखाएँ** और अपतटीय साझेदारियाँ कर से पूर्ण छूट का लाभ लेती हैं।
- **विदहोल्डिंग कर और लाभांश:**
  - साइप्रस लाभांश पर कोई **विदहोल्डिंग** टैक्स नहीं लगाता है।
  - अपतटीय संस्थाओं या शाखाओं के लाभकारी मालिक लाभांश या मुनाफे पर अतिरिक्त कर के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।
- **पूंजीगत लाभ और संपदा शुल्क:**
  - किसी अपतटीय इकाई में शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ कर देय नहीं है।
  - एक अपतटीय कंपनी में शेयरों की विरासत संपत्ति शुल्क से मुक्त है।
- **आयात शुल्क में छूट:**
  - विदेशी कर्मचारियों के लिये कार, कार्यालय या घरेलू उपकरण की खरीद पर कोई आयात शुल्क नहीं।
- **गुमनामी और गोपनीयता:**
  - साइप्रस अपतटीय संस्थाओं के लाभकारी मालिकों की गुमनामी सुनिश्चित करता है।
  - गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए साइप्रस में अपतटीय ट्रस्टों को किसी भी सरकार या प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

- **अपतटीय ट्रस्ट:**
    - ऑफशोर ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट हैं जिनकी संपत्ति और आय साइप्रस के बाहर है तथा यहाँ तक कि सेटलर एवं लाभार्थी भी साइप्रस के स्थायी निवासी नहीं हैं।
        - **यदि ट्रस्टी साइप्रस है तो साइप्रस में अपतटीय ट्रस्टों** को संपत्ति शुल्क से छूट दी गई है।
        - अपतटीय ट्रस्टों द्वारा उत्पन्न आय और लाभ पर कोई कर नहीं।
    - **ट्रस्ट को किसी भी सरकार या अन्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं** है और यह गोपनीयता नए कानून में निहित है।

साइप्रस के साथ भारत की कर संधि क्या है?

- **वर्ष 2013 से पहले:**
    - **पूंजीगत लाभ कर से छूट:**
        - भारत और साइप्रस के बीच एक कर संधि थी जो **निवेशकों को बाहर निकलने पर पूंजीगत लाभ** कर से छूट देती थी।
            - दोनों देशों में पूंजीगत लाभ पर शून्य कराधान ने **साइप्रस** को भारत में इक्विटी निवेश के लिये एक **पसंदीदा स्थान** बना दिया है।
        - साइप्रस ने 4.5% के कम विदहोल्डिंग टैक्स की पेशकश की, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिये इसका आकर्षण बढ़ गया।
            - विदहोल्डिंग टैक्स गैर-निवासियों द्वारा कर अनुपालन सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में कार्य करता है, जो अनिवासी व्यक्तियों को किये गए भुगतान पर लागू होता है।
            - आयकर अधिनियम, 1961 या दोहरा कराधान अपवंचन समझौता **(Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA)**, जो भी कम हो, द्वारा परिभाषित दरों पर सरकार के पास जमा किये गए कर में कटौती के लिये भुगतानकर्त्ता ज़िम्मेदार थे।

नोट:

- DTAA **दो या दो से अधिक देशों** के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन देशों में करदाता **एक ही आय पर दो बार कर लगाने से बच सकें**।
    - DTAA उन मामलों में लागू होता है जहाँ **करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है।**

- DTAA या तो आय के सभी स्रोतों को कवर करने के लिये व्यापक हो सकते हैं या कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो सकते हैं जैसे- शिपिंग, हवाई परिवहन, विरासत आदि से आय पर कर लगाना।
- **वर्ष 2013 से:**
    - भारत ने आयकर अधिनियम की धारा 94A के तहत 1 नवंबर, 2013 को साइप्रस को **अधिसूचित क्षेत्राधिकार (NJA)** के रूप में नामित किया।
        - NJA स्थिति के परिणामस्वरूप साइप्रस में संस्थाओं को भुगतान के लिये उच्च विदहोल्डिंग कर दर (30%) जैसे परिणाम देखे गए।
    - NJA में संस्थाओं के साथ लेन-देन भारतीय हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों के अधीन हो गया।
        - स्थानांतरण मूल्य निर्धारण एक उद्यम के अंदर नियंत्रित (या संबंधित) **कानूनी संस्थाओं (विभिन्न देशों में स्थित हो सकता है) के बीच बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिये मूल्य निर्धारण है।**
- **वर्ष 2016 से:**
    - वर्ष 2016 में साइप्रस के साथ एक संशोधित **DTAA** पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें वर्ष 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से NJA स्थिति को रद्द करना स्पष्ट किया गया था।
    - शेयरों के हस्तांतरण से **पूंजीगत लाभ के स्रोत-आधारित कराधान** के लिये नया DTAA पेश किया गया।
        - अलगाव का तात्पर्य **मालिक द्वारा संपत्ति की स्वैच्छिक बिक्री/स्थानांतरण या त्याग से है।**
    - 1 अप्रैल, 2017 से पहले किये गए निवेश को **ग्रैंडफादरिंग क्लॉज़** द्वारा संरक्षित किया गया है, जिससे करदाता के निवास के देश में पूंजीगत लाभ पर कराधान की अनुमति मिलती है।
- **विश्लेषण और निहितार्थ:**
    - चरणबद्ध विकास साइप्रस के साथ भारत की कर व्यवस्था की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है।
        - स्रोत-आधारित कराधान की दिशा में कदम कर चोरी को रोकने और उचित राजस्व वितरण सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।
        - वैश्विक स्तर पर कर-संबंधित मामलों पर बढ़ती जाँच, जैसा कि विदेशी जाँच से पता चला है, ने कर संधियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।
        - **ग्रैंडफादरिंग क्लॉज़** का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों से पहले किये गए निवेशों के लिये निरंतरता और स्थिरता प्रदान करना था।
- **साइप्रस में भारतीय कंपनियों की वैधता:**
    - साइप्रस में एक अपतटीय कंपनी स्थापित करना **अवैध नहीं है।**
    - भारत का साइप्रस सहित कई देशों के साथ DTAA है, जो कम कर दरों की पेशकश करते हैं।
        - कंपनियाँ ऐसे देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध कर लाभों का आनंद लेने के लिये अपने **कर निवास प्रमाणपत्र** का उपयोग करती हैं।
        - इन न्यायक्षेत्रों की विशेषता सामान्यतः कमज़ोर नियामक निगरानी और सख्त गोपनीयता कानून हैं।

निवेशक साइप्रस को टैक्स हेवेन के रूप में कैसे उपयोग करते हैं?

- साइप्रस में [शेल कंपनियों] के कई नेटवर्कों के माध्यम से धनराशि को प्रसारित करके [मनी लॉन्ड्रिंग] की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - शेल कंपनी एक ऐसी फर्म है जो अर्थव्यवस्था में **कोई संचालन नहीं करती है,** लेकिन यह **अर्थव्यवस्था में** औपचारिक रूप से पंजीकृत, निगमित या **कानूनी रूप** से संगठित होती है।
- साइप्रस में उच्च स्तर की **बैंकिंग गोपनीयता है और** यह अन्य देशों के साथ वित्तीय खातों की जानकारी का स्वचालित रूप से आदान-प्रदान नहीं करता है।
  - यह निवेशकों को अधिकारियों और लेनदारों से **संपत्ति एवं आय छिपाने** में सहायता करता है।
- इसके अलावा निवेशक रणनीतिक दान और लॉबिंग प्रथाओं के माध्यम से **राजनीति तथा नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं।**

भारत टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस के उपयोग पर कैसे अंकुश लगा सकता है?

- **अनुपालन तंत्र को सशक्त करना:** भारत द्वारा प्रवर्तन एवं अनुपालन तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि **कर अधिकारियों के पास** कर चोरी और परिवर्जन के मामलों का पता लगाने, जाँच करने एवं मुकदमा चलाने के लिये **पर्याप्त संसाधन एवं शक्तियाँ मौजूद** हैं। इस माध्यम से साइप्रस को टैक्स हेवन के रूप में उपयोग करने की स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।
- **उत्तरदायित्व के उपाय:** भारत को **अपतटीय संस्थाओं की पारदर्शिता एवं जवाबदेही** बढ़ानी चाहिये जिससे उनके हिताधिकारी स्वामियों, निदेशकों एवं वित्तीय गतिविधियों का खुलासा हो सके।
  - भारत साइप्रस संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को किये गए भुगतान पर **विदहोल्डिंग टैक्स एवं परिवर्जन-विरोधी उपाय** का इस्तेमाल भी कर सकता है।
- **सशक्त विधान:** भारत मज़बूत कानून बनाकर तथा लागू करके कर संधियों के दुरुपयोग का समाधान कर सकता है। इसमें इन कानूनों के दायरे तथा कवरेज का विस्तार करना एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन व निगरानी को सुनिश्चित करना शामिल है।
- **नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना: करदाताओं के नैतिक तथा ज़िम्मेदार व्यवहार** को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहन देना चाहिये तथा उन्हें करों का उचित हिस्सा चुकाने एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

साइप्रस से संबंधित मुख्य तथ्य:

- साइप्रस **पूर्वी** [भूमध्य सागर] में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 9,251 वर्ग किलोमीटर है।
- लगभग **1.2 मिलियन लोगों की आबादी के साथ यह भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा एवं तीसरा सबसे अधिक आबादी** वाला द्वीप है।
- **राजधानी:** इसकी राजधानी निकोसिया है।
- साइप्रस 2004 से [यूरोपीय संघ] का सदस्य रहा है।
- साइप्रस में अनुकूल भूमध्यसागरीय जलवायु है, जिसमें ऊष्म ग्रीष्मकाल एवं हल्की सर्दियाँ होती हैं।
- साइप्रस भौतिक रूप से विभाजित है, इसका **दक्षिणी भाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा शासित है** और **उत्तरी भाग तुर्की द्वारा नियंत्रित है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cyprus-as-a-tax-haven